

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 08-08-2026

विषय सूची

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए धन विधेयक पारित: यह मार्ग कानूनी चुनौती का सामना क्यों कर रहा है?

डीपीडीपी (DPDP) अधिनियम के माध्यम से आरटीआई (RTI) में किए गए बदलावों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता: पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये

भारतीय न्यायपालिका का डिजिटल परिवर्तन

भारत की आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि

संक्षिप्त समाचार

धनसिरी नदी

16वीं ब्रिक्स (BRICS) व्यापार मंत्रियों की बैठक

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923

भारत का पहला निजी रूप से निर्मित 800 kN FFSC इंजन अनावृत

पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI) योजना

स्लेंडर-बिल्ड वल्वर्स

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2026

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए धन विधेयक पारित: यह मार्ग कानूनी चुनौती का सामना क्यों कर रहा है?

सन्दर्भ

- राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।
- इस विधेयक को धन विधेयक (Money Bill) के रूप में पारित किया गया है। 2019 में भी इसी मार्ग का उपयोग किया गया था, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 की गई थी।

परिचय

- किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना लंबित है।
- वर्ष 2023 में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालाँकि, इस मुद्दे पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

विधेयकों के प्रकार

विधेयक चार प्रकार के होते हैं: संविधान संशोधन विधेयक; धन विधेयक; वित्तीय विधेयक; और साधारण विधेयक।

- संविधान संशोधन विधेयक:** वे विधेयक जो संविधान में संशोधन करने का प्रयास करते हैं।
- धन विधेयक:** किसी विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है जब उसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि से व्यय या उसमें धन की प्राप्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हों।
 - ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन विषयों से संबंधित आनुषंगिक प्रावधान शामिल हों, उन्हें भी धन विधेयक माना जाएगा।
- वित्तीय विधेयक:** ऐसा विधेयक जिसमें कराधान और व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान हों तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय से संबंधित प्रावधान भी हों, वित्तीय विधेयक कहलाता है।
 - इसलिए, यदि किसी विधेयक में केवल सरकार द्वारा व्यय करना शामिल है और वह अन्य मुद्दों को भी संबोधित करता है, तो वह वित्तीय विधेयक होगा।
- साधारण विधेयक:** अन्य सभी विधेयकों को साधारण विधेयक कहा जाता है।

MONEY BILL vs OTHER BILLS

MONEY BILL	OTHER BILLS (ORDINARY BILLS)
 Deals only with taxation, government borrowing, the Consolidated Fund, etc. (Article 110)	 Covers all other legislative matters
 Can be introduced only in Lok Sabha	 Can be introduced in either House
 Requires President's recommendation before introduction	 President's recommendation needed only in specific cases
 Rajya Sabha can only recommend changes within 14 days	 Rajya Sabha can amend, reject, or delay the Bill
 Lok Sabha may accept or reject Rajya Sabha's recommendations	 Both Houses must agree on the final text
 No Joint Sitting if there is disagreement	 Joint Sitting possible to resolve a deadlock (except for Constitutional Amendment Bills)
 Speaker's certification as a Money Bill is final	 No such certification applies



Key Point: Money Bills give primacy to Lok Sabha in financial matters of the State, while other bills require equal participation of both Houses.

अनुच्छेद 110(1)(g)

- अनुच्छेद 110(1)(g) में कहा गया है कि “अनुच्छेद 110(1)(a)-(f) में निर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित कोई आनुषंगिक विषय” भी धन विधेयक हो सकता है।
- यह अतिरिक्त उपबंध पिछली सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण विधानों को धन विधेयक के रूप में पारित करने का आधार रहा है।
- उस समय विपक्ष ने तर्क दिया था कि ऐसा केवल इसलिए किया गया क्योंकि सरकार के पास इन विधानों को राज्यसभा में पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी।
- लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- साथ ही, संविधान में कहा गया है कि संसद की कार्यवाही तथा कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों (जैसे लोकसभा अध्यक्ष) पर किसी न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) सहित तीन प्रमुख कानूनों की संवैधानिकता की अभी बड़ी पीठ द्वारा इस दृष्टि से जाँच की जानी बाकी है कि क्या इन कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित किया जा सकता है।
- अन्य दो कानून आधार अधिनियम और 2017 के संशोधन, जो न्यायाधिकरणों की सेवा शर्तों में बदलाव करते हैं, हैं।
- जबकि PMLA और आधार अधिनियम को न्यायालय ने काफी हद तक बरकरार रखा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण संबंधी संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- हालाँकि, दोनों निर्णयों में धन विधेयक से संबंधित मुद्दे को निर्णय के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया।

स्रोत: IE

DPDP अधिनियम के माध्यम से RTI में किए गए बदलावों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा

सन्दर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के माध्यम से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

परिचय

- **पृष्ठभूमि:** DPDP अधिनियम की धारा 44(3) ने RTI अधिनियम में संशोधन किया था, जिससे सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस आधार पर सूचना देने से इनकार करने की सुविधा मिली कि मांगी गई जानकारी “व्यक्तिगत” प्रकृति की है।
 - ♦ RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है।
 - ♦ पहले के प्रावधान में केवल व्यक्तिगत जानकारी की सीमित श्रेणियों को छूट दी गई थी और इसमें लोकहित परीक्षण को शामिल किया गया था।
 - ♦ संशोधित प्रावधान व्यापक रूप से सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित जानकारी तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न:** न्यायालय ने कहा कि DPDP अधिनियम और RTI अधिनियम दोनों केंद्रीय विधान हैं। इन दोनों के बीच वास्तविक रूप से सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
 - ♦ न्यायालय यह जाँच करेगा कि क्या DPDP अधिनियम के तहत डेटा साझा करने के प्रति यह प्रतिबंधात्मक या “सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण” पहले के पारदर्शिता संबंधी कानूनों को निरस्त करने के रूप में कार्य करता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का परिचय

- **पृष्ठभूमि:** 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत के लिए डेटा संरक्षण ढाँचा विकसित करने हेतु न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति का गठन किया।
- **दायरा:** यह भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है, जहाँ ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है या ऑफलाइन एकत्र करके उसे डिजिटलीकृत किया जाता है।
 - ♦ यह भारत के बाहर किए जाने वाले ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होता है, यदि वह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए किया जाता है।
- **सहमति:** व्यक्तिगत डेटा को किसी व्यक्ति की सहमति के आधार पर केवल वैध उद्देश्य के लिए ही संसाधित किया जा सकता है।
 - ♦ कुछ निर्दिष्ट वैध उपयोगों के लिए सहमति आवश्यक नहीं हो सकती, जैसे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से डेटा साझा करना या परमिट, लाइसेंस, लाभ और सेवाओं के लिए राज्य द्वारा डेटा का प्रसंस्करण।
- **डेटा न्यासी के दायित्व:** डेटा की सटीकता बनाए रखना, डेटा को सुरक्षित रखना और उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद डेटा को हटा देना।

- **व्यक्तियों के अधिकार:** जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने का अनुरोध करने तथा शिकायत निवारण का अधिकार।
 - **छूट:** राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे निर्दिष्ट आधारों के हित में सरकारी एजेंसियों को छूट दी जा सकती है।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड:** अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामलों पर निर्णय देने के लिए। डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के पास व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
 - बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
 - केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या और चयन प्रक्रिया जैसे विवरण निर्धारित करेगी।
- **RTI ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS)** में धन के दुरुपयोग को उजागर करने में सहायता की।
- **सुशासन को बढ़ावा देता है:** यह सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है कि सरकार पारदर्शी तरीके से कार्य करे, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **सामाजिक अंकेक्षण को सक्षम बनाता है:** कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संगठन (NGO) सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए RTI का उपयोग करते हैं।
 - RTI का उपयोग यह जाँचने के लिए किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खाद्य राशन का सही तरीके से वितरण किया गया या नहीं।
- **सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुँच:** RTI अनुरोधों का उपयोग सरकारी अनुबंधों का विवरण प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार या कार्यकुशलता की कमी उजागर हुई है।
- **लोकतंत्र को मजबूत करता है:** यह नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का साधन प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005

- **उद्देश्य:** इसे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- **दायरा:** यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संगठन शामिल हैं।
- **जनता के लिए उपलब्ध जानकारी:** नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार है। इसमें अभिलेखों, दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार शामिल है।
- **बहिष्करण:** ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती है, गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती है या चल रही जाँच की निष्पक्षता को नुकसान पहुँचा सकती है।
- **उत्तर देने की समय-सीमा:** सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के अनुरोधों का उत्तर 30 दिनों के भीतर देना आवश्यक है। कुछ मामलों में इस अवधि को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- **दंड:** अधिनियम उन अधिकारियों के खिलाफ दंड का प्रावधान करता है जो उचित कारण के बिना सूचना रोकते हैं या गलत जानकारी प्रदान करते हैं।

अधिनियम का महत्व

- **नागरिकों को सशक्त बनाता है:** सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करके सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- **सरकार को जवाबदेह बनाता है:** सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने और भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता करता है।

निष्कर्ष

- आरटीआई अधिनियम ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी संस्थानों को जवाबदेह बनाकर नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह सुशासन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली साधन है कि नागरिकों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाली जानकारी तक पहुँच प्राप्त हो।

स्रोत: TH

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता: पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये

सन्दर्भ

- हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 'सामूहिक रक्षा' और 'सामूहिक प्रतिरोध' को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई।
- यह समझौता पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिसमें ईरान से जुड़ा जारी संघर्ष और यमन के हूतियों से जुड़े हमले शामिल हैं।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ

समझौते का उद्देश्य है:

- आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना।
- पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना।
- अधिक सैन्य समन्वय और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना।
- किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने को सभी सदस्यों पर हमला माना जाना।
- क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देना।
- तुर्किये ने इस व्यवस्था को किसी विशेष देश के विरुद्ध निर्देशित गठबंधन के बजाय रक्षा-उन्मुख साझेदारी के रूप में वर्णित किया है।
- उसने संकेत दिया है कि इस समझौते का उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थान लेना नहीं, बल्कि उनका पूरक बनना है।



सामरिक महत्व

- **नई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का उदय:** यह समझौता पश्चिम एशिया में केवल बाहरी सुरक्षा संबंधों की तुलना में क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधों की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।
 - सऊदी अरब ने ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं पर निर्भरता रखी है।
 - नया समझौता खाड़ी क्षेत्र के बाहर दो बड़े मुस्लिम-बहुल देशों के बीच सहयोग की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।
- **पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सामरिक अभिसरण:** पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से घनिष्ठ रक्षा संबंध रहे हैं।
 - उनकी पारस्परिक सुरक्षा का द्विपक्षीय आधार पहले उनके सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते (2025) द्वारा निर्धारित किया गया था।
 - मक्का समझौता इस त्रिपक्षीय ढाँचे में तुर्किये को जोड़ता है, जिससे यह सहयोग और व्यापक हो जाता है।
- **तुर्किये की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका:** तुर्किये एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति वाला नाटो सहयोगी और पश्चिम एशिया में तेजी से अधिक मुखर विदेश नीति अपनाने वाला देश है।
 - इसकी भागीदारी इस व्यवस्था के भौगोलिक और सामरिक दायरे को व्यापक बनाती है।
 - यह तुर्किये के स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।
- **सामरिक विविधीकरण की सऊदी अरब की खोज:** सऊदी

अरब की सुरक्षा स्थिति ड्रोन और मिसाइल खतरों, ईरान के साथ तनाव तथा यमन और लाल सागर में अस्थिरता से निर्धारित होती है।

- सऊदी अरब की नीति एक बाहरी सुरक्षा प्रदाता पर निर्भर रहने के बजाय सामरिक गठबंधनों में धीरे-धीरे विविधता लाने की है।

सामूहिक रक्षा कितनी प्रभावी होगी?

- सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले ही 2025 में इस बात पर सहमत हो चुके थे कि एक पर आक्रमण को दूसरे पर आक्रमण माना जाएगा।
- फिर भी, इसके बाद उत्पन्न सुरक्षा संकटों के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से एक देश द्वारा दूसरे की ओर से प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नहीं हुआ।

इसलिए, मक्का समझौते की प्रभावशीलता नमिलखित बातों पर नभिर करेगी:

- हमले की स्थिति में दायित्वों की स्पष्टता।
- कमान और समन्वय तंत्र।
- खुफिया जानकारी और पूर्व-चेतावनी संबंधी सहयोग।
- अंतर-संचालन क्षमता और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण।
- त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता की उपलब्धता।

इसलिए, समझौते के महत्व को बेहतर सुरक्षा सहयोग की संभावना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि स्वतः संयुक्त सैन्य कार्रवाई की धारणा के आधार पर।

STRENGTHS EACH BRINGS TO THE NEXUS



PAKISTAN

- Nuclear-capable defence
- Proven combat experience
- Strong military & strategic location
- Counter-terrorism expertise



SAUDI ARABIA

- Economic strength & resources
- Modernizing defence forces
- Strategic location in the Gulf
- Vision 2030 – investing in security and technology



TÜRKİYE

- Advanced defence industry
- Drones, aerospace & naval capabilities
- NATO-member with global reach
- Humanitarian & diplomatic influence



भारत के लिए निहितार्थ

- **सामरिक सतर्कता की आवश्यकता:** भारत के खाड़ी क्षेत्र में बड़े आर्थिक, ऊर्जा और प्रवासी हित हैं।
 - पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति में कोई भी गंभीर गिरावट कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति, नौवहन और समुद्री व्यापार, प्रेषण, भारतीय प्रवासियों तथा महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
- **संबंधों में संतुलन:** भारत के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजरायल और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं, जबकि तुर्किये के साथ भी उसके संबंध विकसित हो रहे हैं।
 - नई सुरक्षा समूहों का उदय भारत की सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरक्षण की नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी में अस्थिरता भारत के व्यापार मार्गों को सीधे प्रभावित कर सकती है।
 - इसलिए भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता, वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग में निरंतर रुचि है।
- **पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका:** पश्चिम एशिया की सुरक्षा में पाकिस्तान की अधिक भागीदारी से क्षेत्र में इस्लामाबाद की कूटनीतिक और सामरिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
 - भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह विकसित हो रहे पाकिस्तान-सऊदी अरब-तुर्किये सुरक्षा संबंधों पर नजर रखे, साथ ही खाड़ी देशों के साथ भारत के अपने संबंधों के अनावश्यक सुरक्षा-केंद्रितकरण से बचे।

व्यापक भू-राजनीतिक महत्व

मक्का समझौता अंतराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है:

- बाहरी सुरक्षा प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता से क्षेत्रीय साझेदारियों, सामरिक विविधीकरण और सामूहिक प्रतिरोध की ओर बदलाव।

- यह प्रवृत्ति अधिक बहुध्रुवीय पश्चिम एशियाई सुरक्षा वातावरण के उदय के अनुरूप है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किये, ईरान, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ तेजी से एक-दूसरे से जुड़े विभिन्न साझेदारी संबंधों को आगे बढ़ा रही हैं।
- हालाँकि, यह क्षेत्र अभी भी परस्पर प्रतिस्पर्धी हितों और बदलते गठजोड़ों से प्रभावित है।
- इसलिए, नए समझौते को एक बड़ी और लगातार विकसित हो रही सुरक्षा संरचना के एक घटक के रूप में देखा जाना चाहिए।

चुनौतियाँ

- **अलग-अलग सामरिक हित:** पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये की विदेश नीति की प्राथमिकताएँ समान नहीं हैं।
- **ईरान कारक:** यद्यपि समझौता आधिकारिक रूप से किसी देश के विरुद्ध निर्देशित नहीं है, फिर भी इसके क्रियान्वयन का आकलन सऊदी-ईरानी सामरिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में किया जाएगा।
- **नाटो आयाम:** तुर्किये की नाटो सदस्यता उसकी बाहरी सुरक्षा जिम्मेदारियों में जटिलता की एक और परत जोड़ती है।
- **कार्रवाई की अस्पष्टता:** 'एक पर हमला सभी पर हमला है' कथन के लिए सामूहिक कार्रवाई के प्रकार और स्तर को निर्धारित करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति का जोखिम:** प्रतिस्पर्धी सैन्य संगठनों की संख्या बढ़ने से पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में अधिक विखंडन हो सकता है।

आगे की राह

यदि समझौता निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित रहता है, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है:

- गुटीय टकराव के बजाय रक्षा में सहयोग;
- खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद-रोधी सहयोग;
- वायु और समुद्री सुरक्षा;
- मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया के लिए साझा प्रक्रियाएँ;

- क्षेत्रीय शक्तियों के बीच विश्वास-निर्माण के उपाय;
- अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का सम्मान;
- संघर्ष से बचने के लिए कूटनीतिक साधन।
- क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को तनाव कम करने के व्यापक कूटनीतिक प्रयासों का पूरक होना चाहिए, न कि उन्हें कमजोर करना चाहिए।

निष्कर्ष

- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की बदलती सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
- इसका तात्कालिक महत्व एक नए सैन्य गुट के निर्माण से कम और सऊदी अरब, पाकिस्तान तथा तुर्किये के बीच रक्षा सहयोग के संस्थागत रूप लेने में अधिक निहित है।

स्रोत: TH

भारतीय न्यायपालिका का डिजिटल परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

- ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना ने भारत की कागज-आधारित न्यायपालिका को डिजिटल रूप से सक्षम और न्याय वितरण की निगरानी योग्य प्रणाली में बदल दिया है।

पृष्ठभूमि

- भारत की न्यायपालिका, जो एक अरब से अधिक लोगों की सेवा करती है, लंबे समय से कागजी अभिलेखों और भौतिक न्यायालयों के बुनियादी ढाँचे पर निर्भर रही है। कई नागरिकों को अपने मामलों और दस्तावेजों के लिए न्यायालयों तथा अन्य संस्थानों में जाने पर अत्यधिक यात्रा और अन्य खर्च वहन करने पड़ते थे।
- इस पुरानी व्यवस्था ने न्याय वितरण को लोगों के लिए धीमा, जटिल और महंगा बना दिया था।

भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण

- इसका अर्थ सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तक न्यायिक प्रणाली के सभी स्तरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का समावेश करना है।

विभिन्न पहल

- ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना: ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना को 2007 में प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका को अधिक तेज, किफायती, सुलभ और पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था।

- **चरण I (2011-15):** न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण करना।
- **चरण II (2015-23):** NJDG, ई-फाइलिंग, ई-सेवा केंद्र जैसी सेवाओं की शुरुआत तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार।
- **चरण III (2023-27):** डिजिटलीकरण, वर्चुअल सुनवाई, अंतर-संचालनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विश्लेषण और OCR के माध्यम से कागजरहित और बुद्धिमान न्यायालयों का निर्माण करना।
- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG):** एक ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के मामलों, आदेशों और निर्णयों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
- **ICJS (अंतर-संचालनीय अपराधिक न्याय प्रणाली):** ऐसा मंच जो पुलिस, न्यायालयों, जेलों, फॉरेंसिक और अभियोजन को FIR, आरोप-पत्र, आदेश और रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा करने की सुविधा देता है।
- **CCTNS (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली):** FIR से लेकर आरोप-पत्र तक पुलिस प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करता है, जिसमें जाँच अधिकारियों के लिए न्याय संहिता से जुड़े समय-सीमा संबंधी अलर्ट होते हैं।
- **ITSSO (यौन अपराधों के लिए जाँच ट्रैकिंग प्रणाली):** महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में आरोप-पत्र दाखिल करने की समय-सीमा के संबंध में जाँच की निगरानी करने वाला डैशबोर्ड।
- **ई-साक्ष्य:** डिजिटल साक्ष्यों को दर्ज करने और प्रबंधित करने के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग, जो संग्रह से लेकर न्यायालय तक इसकी अखंडता को सुरक्षित रखता है।
- **MedLEaPR (चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण और शव-परीक्षण रिपोर्टिंग):** चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण और शव-परीक्षण रिपोर्टों के लिए अस्पतालों की ऑनलाइन प्रणाली।
- **न्याय श्रुति:** अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस, अभियोजकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा आभासी गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच।
- **ई-फॉरेंसिक:** फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में शुरू से अंत तक डिजिटल मामले के प्रबंधन की व्यवस्था।
- **ई-जेल:** जेल और कैदियों के प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित राष्ट्रीय नेटवर्क।
- **ई-अभियोजन:** समय पर कानूनी राय के लिए पुलिस और अभियोजन को जोड़ने वाला डिजिटल कार्यप्रवाह।
- **NAFIS (राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली):** अपराधिक अभिलेखों के विरुद्ध वास्तविक समय में फिंगरप्रिंट मिलान के लिए केंद्रीकृत जैवमितीय डेटाबेस।

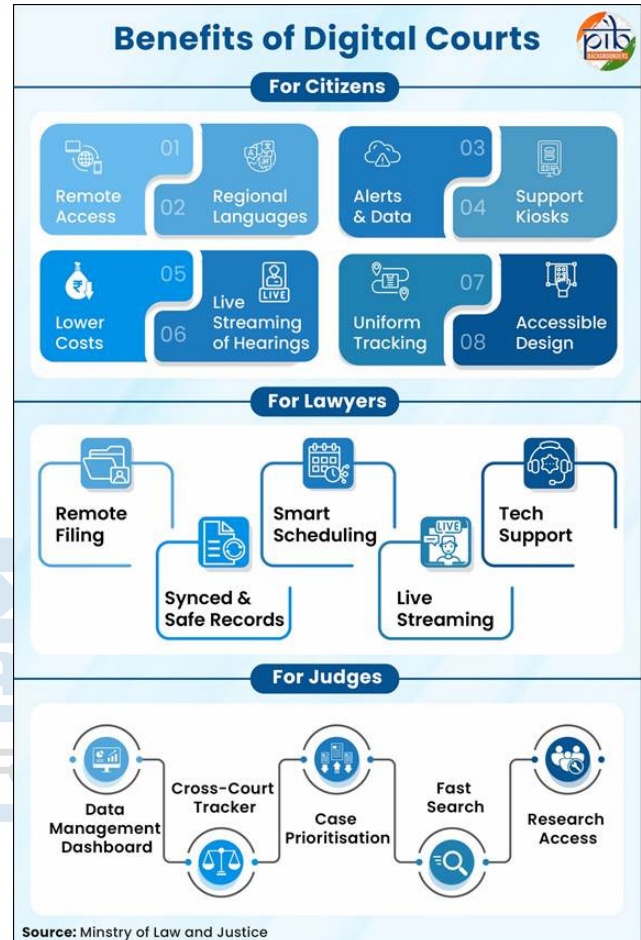
- **ई-सेवा केंद्र:** न्यायालय परिसरों में नागरिक-अनुकूल सहायता केंद्र, जो मामले की स्थिति की निगरानी, ई-फाइलिंग, प्रमाणित प्रतियाँ, ई-भुगतान, डिजिटल हस्ताक्षर, आभासी सुनवाई, यातायात चालान और निःशुल्क कानूनी सहायता तक पहुँच में सहायता करते हैं।

भारत की न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लाभ

- **सुलभता और समावेशन:** वादकारी मामले की स्थिति देख सकते हैं, निर्णय डाउनलोड कर सकते हैं और लंबी दूरी की यात्रा किए बिना दूरस्थ रूप से सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
 - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने न्यायालयों तक पहुँच में सुधार किया है, जिससे वादकारियों, वकीलों, गवाहों और अन्य लोगों को दूरस्थ रूप से भाग लेने की सुविधा मिलती है तथा यात्रा लागत और देरी कम होती है।
- **प्रक्रियाओं में तेजी:** स्वचालित सूचीकरण, GPS ट्रैकिंग के साथ सम्मन की ई-सेवा और तेज दस्तावेज प्राप्ति प्रशासनिक देरी को कम करने में सहायता करते हैं।
 - ई-फाइलिंग प्रणाली नागरिकों और वकीलों को कहीं से भी ऑनलाइन न्यायालयी दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा देती है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होती और न्यायिक कार्यवाही में तेजी आती है।
 - यह जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में उपलब्ध है तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करती है।
- **पारदर्शिता और विश्वास:** वास्तविक समय में मामलों की निगरानी करने वाले सार्वजनिक पोर्टल और न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण प्रणालीगत अपारदर्शिता को कम करते हैं।
- **लागत दक्षता और पर्यावरण-अनुकूलता:** लाखों कागजी अभिलेखों के भंडारण की आवश्यकता समाप्त होने से भंडारण स्थान और प्रशासनिक खर्च में काफी कमी आती है।
- **डेटा-आधारित न्यायिक प्रबंधन:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) जैसे वास्तविक समय के डैशबोर्ड न्यायाधीशों को बाधाओं की पहचान करने और लंबित मामलों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने में सहायता करते हैं।
 - वकील, वादकारी और न्यायाधीश ई-कोर्ट्स सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप, SMS और ईमेल जैसे डिजिटल मंचों के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद-सूची और अपडेट की निगरानी कर सकते हैं, जिससे भौतिक यात्राएँ कम होती हैं और पारदर्शिता बढ़ती है।
- **संरक्षण:** ई-कोर्ट्स मिशन के तहत करोड़ों पुराने न्यायालयी अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि उन्हें भौतिक क्षति से सुरक्षित रखा जा सके और उनकी तेज, आसान

पुनर्प्राप्ति, पहुँच तथा कानूनी शोध को सक्षम बनाया जा सके। इससे न्यायिक दक्षता में सुधार होता है।

- **एकीकरण:** पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक संस्थान अब डिजिटल मंचों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिससे आपराधिक न्याय संबंधी सूचनाओं का सुचारु इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान संभव हो रहा है।



चुनौतियाँ और मुद्दे

- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों नागरिकों के पास उच्च गति वाले इंटरनेट, कार्यशील उपकरणों और बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल तक पहुँच नहीं है।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के जोखिम:** न्यायिक अभिलेखों और संवेदनशील साक्ष्यों के केंद्रीकरण से डेटा उल्लंघन, साइबर हमलों और अनधिकृत छेड़छाड़ का जोखिम बढ़ता है, विशेष रूप से कानूनी प्रौद्योगिकी मानकों के लिए समर्पित कानूनी ढाँचे के अभाव में।
- **व्यवहार संबंधी बाधाएँ:** कानूनी बिरादरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता और ग्रामीण जिला न्यायालयों के कर्मचारी, पारंपरिक कागजी दस्तावेजों से दूर जाने के प्रति अनिच्छुक हैं।

- **बुनियादी ढाँचे की कमियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रौद्योगिकी से अच्छी तरह सुसज्जित हैं, लेकिन कई अधीनस्थ न्यायालयों को अभी भी अनियमित बिजली आपूर्ति, पुराने हार्डवेयर और कम इंटरनेट बैंडविड्थ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **एल्गोरिथ्मिक पक्षपात और विश्वसनीयता:** कानूनी शोध या मामले के प्रबंधन के लिए AI उपकरणों के उपयोग में अंतर्निहित एल्गोरिथ्मिक पक्षपात और सटीकता संबंधी त्रुटियों का जोखिम होता है। इसलिए औपचारिक निर्णयों में एआई के परिणामों को शामिल करने से पहले मनुष्यों द्वारा कड़ी निगरानी आवश्यक है।

निष्कर्ष

- भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण एक स्थान-आधारित संस्था से नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवा की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन है।
- यह अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली की दिशा में एक कदम है। ई-सेवा केंद्रों को मजबूत करना, निरंतर डिजिटल प्रशिक्षण, मजबूत साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और मिश्रित न्यायालय मॉडल समावेशी पहुँच को सक्षम बना सकते हैं।
- इसी बीच, नैतिक AI को मानवीय न्यायिक निर्णय का स्थान लेने के बजाय उसकी सहायता करनी चाहिए। इस अर्थ में प्रौद्योगिकी को कानून के शासन और समान न्याय की संवैधानिक गारंटी को मजबूत करने वाला साधन होना चाहिए।

स्रोत: PIB

भारत की आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि

सन्दर्भ

- भारत सरकार अपनी आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) का मूल्यांकन कर रही है ताकि निवेश संधि के वातावरण को अधिक निवेशक-अनुकूल और अनुकूल बनाया जा सके, साथ ही भारत के संप्रभु नियामक क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है?

- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच ऐसा समझौता है, जिसका उद्देश्य एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को सुगम बनाना और उसकी सुरक्षा करना है।
- BIT कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जैसे अधिग्रहण से सुरक्षा, उचित व्यवहार और विवाद निपटान प्रक्रियाएँ।
- BIT का उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करना है।

द्विपक्षीय निवेश संधियों की विशेषताएँ

- **राष्ट्रीय व्यवहार:** विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू देश के निवेशकों की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जाता है।
- **निष्पक्ष और समान व्यवहार (FET):** मेजबान राज्य निवेशकों के साथ मनमाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा।
- **निवेश पूंजी का मुक्त आवागमन:** नियमों के अनुसार लाभ, लाभांश और पूंजी को राष्ट्रीय सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **विवाद निपटान तंत्र:** यह निवेशकों और मेजबान राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों के निपटान का प्रावधान करता है।

BIT के संबंध में भारत की प्रगति

- **भारत के BIT ढाँचे का विकास:** भारत ने 1993 में अपनी पहली आदर्श BIT पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2003 में संशोधन किया गया।
 - कई अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों के बाद, भारत ने दिसंबर 2015 में एक नई आदर्श BIT अपनाई, जो 2016 में प्रभावी हुई।
- **हाल के घटनाक्रम:** भारत ने बेलारूस, किर्गिज गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और ब्राजील जैसे देशों के साथ BIT या निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील के साथ यह निवेश सहयोग और सुविधा संधि के माध्यम से हुआ है।
- **बजट 2025-26:** सरकार ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए BIT ढाँचे की समीक्षा की घोषणा की।

भारत अपनी आदर्श BIT में संशोधन क्यों कर रहा है?

- **शुद्ध FDI प्रवाह:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 40 अरब डॉलर के औसत से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में शुद्ध FDI प्रवाह 7.65 अरब डॉलर रह गया।
- **बढ़ता बाह्य निवेश:** भारतीय उद्यम विदेशों में अधिक निवेश कर रहे हैं और उन्हें विदेशी न्यायक्षेत्रों में सुरक्षा की आवश्यकता है।
- **निवेशकों के विश्वास में सुधार:** एक पूर्वानुमानित और संतुलित निवेश वातावरण दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करेगा।

प्रस्तावित नई BIT मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ

- **दो वर्ष की घरेलू उपचार प्रक्रिया की आवश्यकता:** विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले कम से

कम दो वर्षों तक भारत की घरेलू कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों का उपयोग करना आवश्यक होगा।

- कुछ साझेदार देशों के लिए वार्ता के दौरान एक वर्ष की छोटी प्रतीक्षा अवधि पर भी विचार किया जा सकता है।
- **सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) उपबंध नहीं:** संशोधित मॉडल में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) उपबंध को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है।
- MFN उपबंध निवेशकों को भारत की अन्य देशों के साथ हुई संधियों में उपलब्ध अधिक अनुकूल व्यवहार का दावा करने की अनुमति देता है।
- माना जाता है कि इस उपबंध को हटाने से संधि-खरीद और कानूनी अनिश्चितताओं में कमी आएगी।
- **कराधान संबंधी मामलों को बाहर रखा जाएगा:** कर-संबंधी विवाद निवेश संधियों के दायरे से बाहर रहेंगे।
- यह दृष्टिकोण वोडाफोन समूह और केयर्न एनर्जी जैसी विदेशी कंपनियों से जुड़े पिछले मध्यस्थता मामलों से प्रभावित है।
- सरकार का मानना है कि कराधान एक संप्रभु नीतिगत विषय है और इसे निवेशक-राज्य मध्यस्थता के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

चिंताएँ क्या हैं?

- **निवेशकों की चिंताएँ:** अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले घरेलू उपचारों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की शर्त लागत और देरी को बढ़ा सकती है। साथ ही, लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं।
- सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) उपबंध की अनुपस्थिति अन्य संधियों के तहत उपलब्ध निवेशक सुरक्षा को कम कर देगी।
- **भारत की चिंताएँ:** अत्यधिक निवेशक अधिकार वैध सार्वजनिक नीतिगत उपायों को सीमित करते हैं और निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र संप्रभु नियामक कार्रवाइयों को चुनौती देता है।
- अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के निर्णय सरकारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व डाल सकते हैं।

निवेश विवाद निपटान में वैश्विक रुझान

- **पारंपरिक ISDS से दूर जाने की प्रवृत्ति:** कई देश पारंपरिक निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र पर पुनर्विचार कर रहे हैं।
- **उदाहरण** के लिए, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच BIT में ISDS के बजाय राज्य-से-राज्य विवाद निपटान (SSDS) को अपनाया गया है। SSDS के तहत विवादों का

समाधान निवेशकों और मेजबान राज्यों के बीच सीधे होने के बजाय सरकारों के बीच किया जाता है।

आगे की राह

- एक संतुलित BIT दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत की नियामक संप्रभुता और नीतिगत क्षेत्र का सम्मान करने के साथ-साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करे।
- वाणिज्यिक न्यायालयों और अनुबंधों के प्रवर्तन को मजबूत करने सहित घरेलू कानूनी संस्थानों में निवेशकों का विश्वास बढ़ाना चाहिए।
- महंगी मध्यस्थता के विकल्प के रूप में मध्यस्थता, सुलह और राज्यों के बीच विवाद समाधान प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

धनसिरी नदी

सन्दर्भ

- असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है।

परिचय

- **उद्गम:** यह नागालैंड की लैसांग चोटी से निकलती है।
- **मार्ग:** यह उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित एक अंतरराज्यीय नदी है, जो असम और नागालैंड राज्यों से होकर बहती है।
- यह ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले दीमापुर, चुमौकैदिमा और असम के गोलाघाट जिले से होकर 352 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
- **संगम:** यह असम में धनसिरीमुख के पास ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर उससे मिलती है।
- **जल ग्रहण क्षेत्र:** 1,220 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र वाली यह नदी पारिस्थितिक तंत्रों और मानव बस्तियों दोनों का समर्थन करती है।
- **बाढ़ की स्थिति:** वर्षा पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण मानसून के दौरान इसका जल स्तर तेजी से बढ़ता है और तेज प्रवाह से गोलाघाट तथा असम के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है।

स्रोत: TH

16वीं BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक

सन्दर्भ

- भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत जयपुर में 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का सफलतापूर्वक समापन किया।

प्रमुख परिणाम

- जयपुर सहमति:** ब्रिक्स सदस्य छोटे व्यवसायों के लिए व्यापार वित्त तक पहुँच में सुधार करने हेतु ब्रिक्स चालान छूट तंत्र की व्यवहार्यता की जाँच करने पर सहमत हुए।
 - बैठक में निर्यात-उन्मुख एमएसएमई (MSMEs) के लिए ऋण आकलन ढाँचे के मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए गए, जिसमें वित्तीय संस्थानों को पारंपरिक संपार्श्विक के बजाय नकदी प्रवाह के आधार पर उद्यमों का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
 - औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए मंत्रियों ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर ब्रिक्स साझा समझ को अपनाया, जिसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखला कार्य योजना 2026–2030 शामिल है।
 - इस योजना में ब्रिक्स तकनीकी परिषद, ब्रिक्स कनेक्ट पहल, मूल्य श्रृंखलाओं पर संयुक्त अध्ययन तथा फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला और निवेश प्रोत्साहन मंचों की संभावनाओं का पता लगाने की परिकल्पना की गई है।
- सीमापार डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सुगम बनाने के लिए ब्रिक्स सिद्धांत:** इसका उद्देश्य सुरक्षित डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच सेवाओं में सहयोग का विस्तार करना है।

ब्रिक्स का परिचय

- ब्रिक्स (BRICS) एक संक्षिप्त नाम है, जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—के समूह को संदर्भित करता है।
 - मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स में नए पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।
 - इस शब्द का मूल रूप से अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में गढ़ा था।
- उद्गम:** एक औपचारिक समूह के रूप में BRIC की शुरुआत 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई।

- वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के अवसर पर BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया।
- प्रारंभ में इस समूह को ब्रिक (BRIC) कहा जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स (BRICS) कहा जाने लगा।
- शिखर सम्मेलन:** ब्रिक्स देशों की सरकारें 2009 से प्रत्येक वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलनों में बैठक करती रही हैं।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक:** पूर्व में इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
 - बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा।

स्रोत: DD News

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923

सन्दर्भ

- भारतीय वायु सेना (IAF) के एक विंग कमांडर को संवेदनशील रक्षा संबंधी जानकारी कथित रूप से लीक करने के आरोप में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923

- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 औपनिवेशिक काल का एक कानून है, जिसे आधिकारिक गोपनीयता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
- यह कानून सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों पर लागू होता है तथा जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्र की अखंडता के लिए संभावित अन्य खतरों से निपटने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- कानून के तहत जासूसी करना, 'गोपनीय' जानकारी साझा करना, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी छिपाना, निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कार्यों में हस्तक्षेप करना आदि दंडनीय अपराध हैं।
- दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- जानकारी में सरकार से संबंधित या उसके कब्जे वाले किसी स्थान का संदर्भ, दस्तावेज, तस्वीरें, रेखाचित्र, मानचित्र, योजनाएँ, मॉडल, आधिकारिक कूट या पासवर्ड आदि शामिल हो सकते हैं।

स्रोत: IE

भारत का पहला निजी रूप से निर्मित 800 kN FFSC इंजन प्रदर्शित

सन्दर्भ

- अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित 800 kN फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन (FFSC) रॉकेट इंजन प्रदर्शित किया है।

परिचय

- EVEREST नामक इस इंजन को एस्ट्रोबेस ने विकसित किया है, जिससे यह कंपनी विश्व स्तर पर उच्च-श्रुत फ्लो FFSC इंजन सफलतापूर्वक विकसित करने वाली केवल चौथी वाणिज्यिक कंपनी बन गई है।
- कंपनी का लक्ष्य 2028 में अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान की पहली उड़ान करना है।
- यह विकास भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो अब छोटे उपग्रह प्रक्षेपण प्रणालियों से आगे बढ़कर उच्च-श्रुत प्रणोदन प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रहा है। ये प्रौद्योगिकियाँ पुनः प्रयोज्य कक्षीय श्रेणी के रॉकेटों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- एवरेस्ट पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रणोदन और उच्च-आवृत्ति वाली प्रक्षेपण प्रणालियों में घरेलू क्षमता विकसित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन (FFSC) रॉकेट इंजन

- फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन रॉकेट इंजन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे उन्नत और उच्च-प्रदर्शन वाले तरल प्रणोदक चक्रों में से एक है।
- यह प्रौद्योगिकी अत्यधिक दक्ष है क्योंकि इसमें ईंधन और ऑक्सीकारक की लगभग पूरी मात्रा का उपयोग किया जाता है।
- रॉकेट इंजन में ईंधन और सामान्यतः तरल ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीकारक को अत्यधिक उच्च दबाव पर दहन कक्ष में पंप किया जाता है।
- FFSC इंजन में ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को मुख्य दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले टर्बाइनों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसी कारण इस प्रकार के इंजन को 'फुल-फ्लो' कहा जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप रॉकेट समान मात्रा में प्रणोदक के साथ अधिक श्रुत उत्पन्न करता है, कम तापमान पर चलता है, अधिक समय तक कार्य करता है और कई बार उपयोग किया जा सकता है।
- भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% से भी कम योगदान करता है। देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए स्वदेशी

प्रणोदन और विस्तार योग्य प्रक्षेपण बुनियादी ढाँचा तेजी से बढ़ते उपग्रह-प्रक्षेपण बाजार में महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: TH

पीएम यशस्वी (PM-YASASVI) योजना

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए पीएम-यशस्वी योजना के माध्यम से शैक्षिक अवसरों के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना— जीवंत भारत (PM-YASASVI) योजना

- इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इसमें शिक्षा के विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए चार प्रमुख छात्रवृत्ति घटक शामिल हैं।
- इनमें पात्र OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, विद्यालयों में उच्च श्रेणी शिक्षा योजना और महाविद्यालयों में उच्च श्रेणी शिक्षा योजना शामिल हैं।
- पात्रता:** OBC/EBC/DNT श्रेणियों के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है और जिन्हें अधिसूचित संस्थानों में पात्र पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिला है, योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। यह निर्धारित सीटों की उपलब्धता के अधीन है।
 - एक परिवार से अधिकतम दो भाई-बहन ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- लाभ:** पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन पूर्ण शिक्षण शुल्क और गैर-वापसी योग्य शुल्क, जीवन-यापन के लिए ₹3,000 प्रति माह, पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए ₹5,000 वार्षिक तथा कंप्यूटर/लैपटॉप और सहायक उपकरणों के लिए एक बार में ₹45,000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
 - शिक्षण शुल्क का भुगतान सीधे संस्थानों को किया जाएगा, जबकि अन्य लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से विद्यार्थियों को हस्तांतरित किए जाएंगे।
- उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों को कक्षा XII के बाद गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। यह 2021-22 से मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संस्थानों में संचालित है।
- छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय हैं और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहेंगी।

स्रोत: PIB

स्टेंडर-बिल्ड वल्चर्स

चर्चा में क्यों?

- असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में स्थित जटायु सॉफ्ट रिलीज केंद्र में पाँच बंदी प्रजनित स्टेंडर बिल्ड वल्चर्स को व्हाइट रम्पड वल्चर्स के साथ छोड़ा गया। यह विश्व में अपनी तरह का पहला गिद्ध विमोचन है।

स्टेंडर-बिल्ड वल्चर्स (*Gyps tenuirostris*)

- स्टेंडर-बिल्ड वल्चर गहरे रंग का, दुबला-मुंहासा मृतभक्षी पक्षी है, जिसके चौड़े पंख, लंबी नंगी गर्दन और हल्के रंग के निचले हिस्से होते हैं।
- आवास:** यह मानव बस्तियों से दूर शुष्क खुले और वन क्षेत्रों में निवास करता है।
 - यह लगभग पूरी तरह मृत पशुओं के शवों पर निर्भर रहता है और अक्सर शवों तथा सामुदायिक विश्राम स्थलों पर अन्य गिद्धों के साथ बड़ी कॉलोनियाँ बनाता है।
- वितरण:** यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में पाया जाता है, जिसमें गंगा के मैदान, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं।
 - दक्षिण-पूर्व एशिया में इसकी पूर्व की सीमा काफी कम हो गई है। थाईलैंड और मलेशिया में इसकी आबादी विलुप्त मानी जाती है, जबकि वर्तमान में यह मुख्यतः **कंबोडिया, दक्षिणी लाओस और म्यांमार** में पाई जाती है।
- पारिस्थितिक भूमिका:** यह एक महत्वपूर्ण मृतभक्षी और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करने वाला पक्षी है, जो पशुओं के अवशेषों को प्राकृतिक रूप से नष्ट करने और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने में सहायता करता है।
- खतरे:** पतली चोंच वाले गिद्धों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण **डाइक्लोफेनाक** विषाक्तता है, जिससे **किडनी** खराब हो जाते हैं।
 - अन्य खतरों में **भोजन की कमी, कीटनाशक विषाक्तता, आवास और पेड़ों का नुकसान, उत्पीड़न तथा बिजली का करंट लगना या टकराव** शामिल हैं।
- संरक्षण स्थिति:** *Gyps tenuirostris* को आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त (**Critically Endangered**) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे **साइटस(CITES)** के **परिशिष्ट II** में शामिल किया गया है।

व्हाइट-रम्पड वल्चर्स (*Gyps bengalensis*)

- यह मुख्यतः मैदानी और खुले क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन वनों, गाँवों और शहरों में भी पाया जाता है।

- यह मृत पशुओं के शवों पर भोजन करता है। यह अत्यधिक सामाजिक होता है तथा बड़े भोजन समूहों और सामुदायिक विश्राम स्थलों में एकत्र होता है और ऊँचे पेड़ों पर कॉलोनी बनाकर प्रजनन करता है।
- यह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में पाया जाता है।
- इसे आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (**Critically Endangered**) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

स्रोत :TH

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

सन्दर्भ

- पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

परिचय

- NGRA पशुधन और डेयरी क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत विभाग 2021 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रहा है।
- 2014 में शुरू किया गया RGM स्वदेशी गोजातीय नस्लों के वैज्ञानिक संरक्षण और विकास पर केंद्रित है।

पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:

- स्वदेशी गाय/भैंस नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान।
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (DCS)/दूध उत्पादक कंपनी (MPC)/डेयरी किसान उत्पादक संगठन (FPO)।
- सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT)।
- प्रत्येक श्रेणी में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान तथा सर्वश्रेष्ठ DCS/MPC/FPO श्रेणियों में पुरस्कार राशि क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए ₹5 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख है। विशेष पुरस्कार के लिए ₹2 लाख दिए जाते हैं।
- AIT श्रेणी में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को योग्यता प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न दिया जाता है तथा इसमें कोई नकद पुरस्कार नहीं है।

स्रोत: PIB